न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 01/21 (वाद)
GCMS No. : 2021/2

1. श्री भंवरलाल पिता शंकरलाल कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री चन्दु उर्फ चन्द्रप्रकाश पिता शंकरलाल कुमावत निवासी फतहनगर हाल गाडरियावास मावली तह. मावली।
2. श्री सुरेश पिता शंकरलाल कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी रमेश कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
4. श्री पूरण पिता रमेश कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
5. श्री आशीष पिता बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
6. श्रीमती प्रेमलता पत्नी बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
7. माया पुत्री बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
8. सुनिता पुत्री बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
9. मीना पुत्री बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सा. सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 5
3. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 4

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 21.02.2024

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 422, 425, 426 किता 3 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के पिता शंकरलाल कुमावत के नाम पर अंकित है खातेदार शंकरलाल कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2020 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 हैं, आराजी नम्बर 424 रकबा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के पिता स्व. शंकरलाल कुमावत के नाम पर 9/10 अंकित है खातेदार शंकरलाल कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2020 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान मे वादी एवं प्रतिवादीगण क्या. से 9 हैं एवं प्रतिवादी सुरेश कुमावत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर 1/10 हिस्सानुसार दर्ज हैं एवं आराजी नम्बर 423 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के पिता स्व. शंकरलाल कुमावत के नाम पर 5/9 हिस्सा अंकित है खातेदार शंकरलाल कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2020 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 है एवं प्रतिवादी सुरेश के नाम पर 4/9 हिस्सानुसार अंकित है एवं मौजा चंगेडी पटवर हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 445 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के पिता स्व. शंकरलाल कुमावत के नाम पर अंकित है खातेदार शंकरलाल कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2020 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति होना बताकर वादी के पिता शंकरलाल जी कुमावत का दिनांक 14.12.2020 को स्वर्गवास हो जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 चन्दु उर्फ चन्द्र प्रकाश पिता शंकरलाल कुमावत जो कि वादी का भाई है और इसने वर्ष 2003 में अन्य जाति समाज के औरत से विवाह कर लेने के कारण उक्त पैतृक सम्पति जो स्व. शंकरलाल जी कुमावत के नाम पर अंकित है उसमें अपना जो 1/5 वां हिस्सा था वो सम्पूर्ण हिस्सा हमारे पिताजी के नाम पर हक त्याग कर दिया व इसी पुष्टि में स्टाम्प पर एक हक त्याग पत्र दिनांक 22.07.2003 को निष्पादित कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर देने से प्रतिवादी सं. 1 चन्द्र प्रकाश का उक्त पैतृक सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहने से वादी के पिताजी शंकरलाल कुमावत के नाम पर अंकित भूमि में मुझ वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 सुरेश का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के हिस्से में 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करने हेतु बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने अपंजीकृत एवं अपूर्ण स्टाम्प पर लिखे हक त्याग पत्र दिनांक 22.07.2003 के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो तथाकथित लिखापढी 20/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी हुई है जबकि भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में इस तथ्य का उल्लेख किया हुआ है कि यदि किसी दस्तावेज द्वारा वर्तमान में, भविष्य में किसी अधिकार, स्वत्व अथवा हित के सृजन, अभिवृद्वि, हस्तान्तरण, प्रतिफल की प्राप्ति की रसीद या भुगतान की स्वीकृति का लेख पत्र उत्पन्न होता है जिसका मूल्य 100/– एक सौ रूपये अथवा इसके अधिक मूल्य की अचल सम्पति से सम्बन्धित दस्तावेज का पंजीयन होना अनिवार्य है जबकि वर्तमान वाद में जो लिखापढी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है वह अनरजिस्टर्ड होकर वर्तमान में साक्ष्य में ग्राह्य है, न ही इनसे किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार के स्वत्व अथवा हक वादी या अन्य किसी को प्राप्त होते है। इस आधार पर वादी का वाद निरस्त होने योग्य हैं।

2. यह कि वादी जिस तथाकथित हक त्याग पत्र के जरिये माननीय न्यायालय आपमें दावा लाया है वह दस्तावेज बनावटी एवं फर्जी हैं। मुझ प्रतिवादी द्वारा कभी भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया हैं। वादी ने केवलमात्र मुझ प्रतिवादी को मेरे पिता की सम्पति से वंचित करने की नियत से बनावटी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर यह झूठा दावा न्यायालय आपमें पेश किया है जो निरस्त होने योग्य हैं। क्योंकि वादी जिस बनावटी एवं फर्जी दस्तावेज दिनांक 22.07.2003 का अवलम्बन ले रहा है उसके बाद दिनांक 26.07.2010 को वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता शंकरलाल पिता भेरूलाल जी कुमावत ने अपने पांचों पुत्रों के मध्य अपनी जायदाद का बंटवाडा कर दिया और कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा बंटवाडानामा की लिखापढी भी 100/– रूपया के स्टाम्प पर चारो पुत्र भंवरलाल, बालमुकुन्द, चन्दु उर्फ चन्द्रप्रकाश, सुरेशचन्द्र एवं स्वर्गीय पुत्र रमेशचन्द्र की पत्नी मन्जुदेवी के पक्ष में दिनांक 26.07.2010 को करवा दी और सभी ने बंटवाडे से सहमत होकर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा वादी भंवरलाल ने भी बंटवाडे से सहमत होकर स्वीकारोक्ति स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर दिये एवं दिनांक 28.07.2010 को उक्त बंटवाडानामा को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया। ऐसी अवस्था में वादी का यह वाद चलने योग्य नहीं हैं।

3. यह कि पंजीयन के अभाव में स्वामित्व का अन्तरण असम्भव है इस तथ्य को सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 एवं धारा 47 रजिस्ट्रेशन एक्ट में विस्तार से बताया गया है। उपरोक्त वाद में भी वादी का वादाधार भी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जिससे वादी को किसी प्रकार के कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादी वादाधार दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होकर पर्याप्त स्टाम्प पर नहीं है ऐसे दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है एवं न ही राजस्व न्यायालय वादी अथवा अन्य किसी के पक्ष में कोई हक व अधिकारतय कर सकता है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के सम्बन्ध में मामले सुनने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकारिता नहीं हैं। प्रतिवादी इसके लिए सक्षम सिविल न्यायालय में इस अपंजीकृत दस्तावेज की पालना के लिए अलग से वाद प्रस्तुत करें क्योंकि किसी भी दस्तावेज के आधार पर अपना हक साबित करने के लिए क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है जिससे उनको अनरजिस्टर्ड डाक्यूमेन्ट के आधार पर स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा लाना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू. राजस्व अधिनियम के तहत् अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

का कोई प्रावधान नहीं हैं। वादी को प्रतिवादी के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता हैं इसलिए भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

4. यह कि वादीगण ने अपने वादपत्र के सत्यापन में वाद पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों को स्वयं के निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही होना दर्शाया है जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधान के अनुसार सत्यापन में यह अंकित करना आवश्यक एवं अनिवार्य है कि वाद पत्र में वर्णित कौनसे तथ्य स्वयं के निजी ज्ञान से एवं कौनसे तथ्य विधिक सलाहकार की राय से सत्य व सही है किन्तु वादी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता मे दिये गये प्रावधनों की पालना में अपने वाद पत्र के सत्यापन ऐसे किसी प्रकार के तथ्य का अंकन नहीं किया हैं जिससे भी वादीगण का वाद निरस्त होने योग्य हैं। वाद पत्र में किये गये कथनों में कोई भी जोड तोड किये बिना यह प्रतीत होता है कि यह विधि से वर्जित है अथवा किसी भी वाद कारण का खुलासा नहीं कर रहा है तब वाद को खारिज किया जा सकता हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त हक त्याग पत्र दिनांक 22.07.2003 प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति से अपने पिता के पक्ष में आपसी पारिवारिक समझोते के आधार पर निष्पादित किया था और चूंकि उक्त हक त्याग पत्र में दोनों उभय पक्षकार आपस में पिता पुत्र है इसलिए इसे स्टाम्प पर निष्पादित किया जाना आवश्यक नहीं है न ही इसके पंजीकृत होने की जरूरत है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गैर समाज की लडकी से विवाह करने के पश्चात् अपनी सहमत से अपनी पैतृक भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पिता के पक्ष मे त्याग कर दिया था जिसकी पुष्टि में दिनांक 22.07.2003 को निष्पादित किया जिस पर इसके स्वयं के हस्ताक्षर है इसलिए इसके फर्जी या कूट रचित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। वादी ने कोई फर्जी दस्तावेज नहीं बनाया हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा प्रतिवादी के द्वारा अपनी सहमति से उक्त पैतृक सम्पति में से अपना हिस्सा छोडने पर हमारे पिताजी ने अपनी जायदाद का बंटवारा अपने शेष पुत्रों के मध्य प्रतिवादी सं. 1 की सहमति से कर दिया था। प्रतिवादी सं. 1 जिस बंटवारानामा का उल्लेख कर रहा है उसकी जानकारी वादी को नहीं है यदि ऐसा कोई दस्तावेज हो तो उसकी प्रति वादी को उपलब्ध करवाई जावे तो ही उसका जवाब दिया जा सकता हैं। उक्त हक त्याग पत्र व बंटवारानामा आपसी पारिवारिक सम्पति का परिवार के सदस्यों के मध्य होने से इसका पंजीयन होना आवश्यक नहीं हैं। वादी का वाद पैतृक भूमि से संबंधित है जिसको सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। वादी का वाद [illegible] के आधार पर व स्वयं प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपना हिस्सा त्याग कर देने से इसका उक्त पैतृक सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं बचता हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1 का यह प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं उक्त अनवान मुकदमा में आगे कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान बहस सुनी गई।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRD 14.04.2009 पेज 238 पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्क सुने। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा शंकरलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। शंकरलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं। वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 चन्दु उर्फ चन्द्र प्रकाश द्वारा उनके पिता शंकरलाल के पक्ष में अपना 1/5वां हिस्सा हक त्याग कर देने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम विरासत के आधार पर आने वाला हिस्सा वादी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता हैं। वादी द्वारा अपने वाद की कलम संख्या 1 में स्वयं लिखा है कि मृतक शंकरलाल के विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 हैं। हमने हक त्याग पत्र दिनांक 22.07.2003 का अवलोकन किया। वादी द्वारा जिस हक त्याग पत्र के आधार पर घोषणा चाही गई है वह दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होकर 20/– रूपये के स्टाम्प पर है जिससे उक्त दस्तावेज की सत्यता पर संशय उत्पन्न होता हैं। प्रतिवादी सं. 1 मृतक शंकरलाल का विधिक वारिस होने से वादग्रस्त आराजीयात में समान हक रखता हैं। वादी द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है उसका क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को हैं। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः अप्रार्थी/वादी का वाद घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भंवरलाल पिता शंकरलाल कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री चन्दु उर्फ चन्द्रप्रकाश पिता शंकरलाल कुमावत निवासी फतहनगर हाल गाडरियावास मावली तह. मावली।
2. श्री सुरेश पिता शंकरलाल कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी रमेश कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
4. श्री पूरण पिता रमेश कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
5. श्री आशीष पिता बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
6. श्रीमती प्रेमलता पत्नी बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
7. माया पुत्री बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
8. सुनिता पुत्री बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
9. मीना पुत्री बालमुकन्द कुमावत निवासी फतहनगर तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सा. सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 01/21 (वाद) GCMS No. : 2021/2

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested